ANNEXURE No. [illegible]

मद संख्या 1[illegible]

विषयः महायोजना के अनुसार कृषि भूमि के अन्तर्गत मै० राजकुमार गोयल एजूकेशन फाउन्डेशन को ग्राम गुलधर की भूमि पर इन्जीनियरिंग कालेज अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

श्री राजकुमार गोयल द्वारा ग्राम गुलधर की लगभग [illegible] वर्ग मीटर भूमि पर इन्जीनियरिंग कालेज खोलने हेतु अनुमति हेतु आवेदन किया गया है।

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है लेकिन उन्होंने शासन तथा ए०आई०सी०टी०ई० से अनुमति लेने के लिये लिखा है।

प्रश्नगत भूमि मेरठ रोड पर पश्चिम की ओर पड़ती है जो नंगला आटे रोड पर गढ़ी गाँव के सामने लगभग [illegible] मीटर की दूरी पर स्थित है।

मेरठ रोड के दक्षिण की ओर प्राधिकरण द्वारा गार्डन सिटी योजना बनायी जानी प्रस्तावित है जिसमें लगभग 3[illegible] एकड़ भूमि अर्जन पूर्ण, जिसमें आवासीय, औद्योगिक तथा शैक्षणिक प्रयोग हेतु रखे जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया है।

प्रश्नगत भूमि महायोजना के भू-उपयोग के अनुसार कृषि भूमि में आती है। शासन द्वारा बनाये गये आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स जिन्हें प्राधिकरण की बैठक दिनांक [illegible] में अंगीकृत किया गया था और शासन को नोटिफिकेशन हेतु भेजा गया था। यद्यपि अभी तक गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ लेकिन जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार कृषि हरित पट्टी में विशिष्ट शैक्षिक संस्थाओं जैसे उच्च स्तरीय मेडिकल तकनीकी संस्थायें बोर्ड द्वारा अनुमन्य की सकती है।

उपरोक्तानुसार ही पूर्व बोर्ड बैठक दिनांक 27-11-[illegible] में दो अन्य इन्जीनियरिंग कालेजों को सैद्धान्तिक अनुमति दी गयी है जिसमें अधिकतम भू-आच्छादित क्षेत्रफल [illegible] ही रखा जायेगा। चूँकि यह प्रकरण भी पूर्व प्रकरणों की भांति है, इसलिये इस विषय पर भी शासन पक्ष के हक में स्पष्ट होने पर अनुमति प्रदान की जा सकती है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा गार्डन सिटी योजना प्रस्तावित की जा रही है जिसमें शैक्षणिक संस्थाओं हेतु लगभग एक तिहाई भूमि नियोजित करने का प्रस्ताव है। अतः इस प्रस्तावित इन्जीनियरिंग कालेज की भूमि को गार्डन सिटी योजना की भूमि में समायोजित किया जाना होगा।

उक्त प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

TRUE COPY
Attested

[signature]
सचिव
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

Raj Kumar Goel Institute of Technology
[signature]
Director